



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : 1802-मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2016-21-मा०सं०-01/2007

दिनांक : 16 जून, 2016

कार्यालय ज्ञाप

प्रशिक्षणोपरान्त अन्तिम संविलीनीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर उत्पादन निगम लि० के नियुक्ति आदेश सं० 1360-मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2011-08-मा०सं०-01/2011 दिनांक 13.05.2011 के सन्दर्भ में तथा उसमें वर्णित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त श्री विकास कुमार गौरव (अनुक्रमांक-90155220) सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद), अनपरा तापीय परियोजना को एतद्वारा दिनांक 26.06.2013 से स्थानापन्न एवम् अस्थाई सहायक अभियन्ता (जानपद) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2- उपरोक्त सहायक अभियन्ता पर उत्पादन निगम लि० में प्रचलित तथा भविष्य में समय-समय पर जारी किये जाने वाले सेवा नियम, विनियम, प्रशासनिक आदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड से सम्बन्धित आदेश लागू होंगे। ज्ञातव्य हो कि उत्पादन निगम की सेवाएं पेंशनरी नहीं हैं, अतः सेवानिवृत्ति पर किसी तरह की पेंशन अनुमन्य नहीं है। पूर्व सेवा योजक के अधीन सेवाएं पेंशनरी होने की स्थिति में भी निगम में पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

3- उपरोक्त नियुक्ति सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा स्वास्थ्य उपयुक्तता संतोषजनक पाये जाने के प्रतिबन्ध के अधीन की गई है। चरित्र एवं पूर्ववृत्त के असंतोषजनक पाये जाने की दशा में सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताये हुए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

4- यह नियुक्ति अस्थायी है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है। यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का दावा झूठा पाया जाता है तो सम्बन्धित सहायक अभियन्ता की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और झूठे प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उप बन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

5- यदि किसी भी समय चिकित्सा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र अथवा शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य कोई प्रमाण-पत्र झूठा/फर्जी पाया जाता है तो सेवायें बिना कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

ए०पी० मिश्र
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 1802(1) मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
- 3- मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, अनपरा तापीय विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा (सोनभद्र) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप की छायाप्रति कराकर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को अपने स्तर से हस्तगत कराने का कष्ट करें।

कमश: 2/-

- 4- मुख्य अभियन्ता, तापीय परिचालन/ईंधन/वाणिज्य/पीपीएमएम/आर0 एण्ड एम0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (जानपद)/(जानपद-नव परियोजनाएँ), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- अध्यक्ष, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 9- महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10- मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010.
- 11- उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, (मा0सं0-01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइंडिंग सेल/प्रशिक्षण, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 12- मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केश प्रबन्धन इकाई उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 13- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 14- श्रीमती पूनम मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 15- अनुभाग अधिकारी (मा0सं0-06), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 16- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,



(इन्द्रजीत मित्रा)

कार्यवाहक अनु सचिव (मा0सं0-01)